छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन शिक्षण समिति द्वारा संचालित

(उच्च शिक्षाविभागसेमान्यताप्राप्त एवंपं. रविशंकर शुक्लविश्वविद्यालय सेस्थायी संबध्द)

विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय

जी.ईरोड, रायपुर (छ.ग.)

E-Mail vipracollege1996@gmail.com

Visit on- www.vipracollege.org

पंजीयनकं.–17951 Phone No. 9406082000

2.1.2: Percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy during the last five years (Exclusive of supernumerary seats) :

2.1.2.1: Number of actual students admitted from the reserved categories year wise during the last five years

2.1.2.2: Number of seats earmarked for reserved category as per GOI/State Govt rule year wise during the last five years

Principal
Dr.MegheshTiwari
Vipra Kala, VanijyaAvam
SharirikShikshaMahavidyalaya
Raipur, Chhattisgarh

प्राचार्य
विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा
महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक),0771–2262540 (कुलसचिव),फैक्स–0771–2262818, 2262607, ई–मेलः academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 1851/अका./2022 रायपुर, दिनांक 18.06.2022

प्रति,

1. **अध्यक्ष/संचालक**
   समस्त अध्ययनशाला/संस्थान
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
   रायपुर

2. **प्राचार्य**
   संबद्ध समस्त महाविद्यालय
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
   रायपुर

विषय :– प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 का प्रेषण।

संदर्भः– अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 2935/760/आउशि/सम./2022 दिनांक 07.06.2022

महोदय/महोदया,

लेख है कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर द्वारा शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया अपने महाविद्यालय/अध्ययनशाला के समस्त शिक्षकों/कर्मचारियों को इससे अवगत कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 में दिए गए प्रावधानों का **अक्षरशः कड़ाई से पालन** करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार कुल 16 पृष्ठ।

आदेशानुसार,
16/6/22
कुलसचिव

पृ. क्र. 1852/अका./2022 रायपुर, दिनांक 18.06.2022

प्रतिलिपि :–

1. उप कुलसचिव परीक्षा/सामा.प्रशा./सहायक कुलसचिव गोपनीय विभाग
2. नामांकन/उपाधि प्रकोष्ठ/अधिष्ठाता छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक
3. संचालक, महाविद्यालय, विकास परिषद्
4. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

16.6.22
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

प्राचार्य
विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा
महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 2935/760/आउशि/सम./2022 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 07/06/2022

प्रति

1. **कुलसचिव**
समस्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।
2. **प्राचार्य,**
समस्त महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ ।

विषय :– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का प्रेषण।**

संदर्भ :– अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.06.2022।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2022–23 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

संलग्न –उपरोक्तानुसार।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

7.6.2022
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 2936/760/आउशि/ सम/2021 **नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक** 07/06/2022

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन उच्च षिक्षा विभाग मंत्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

7.6.2022
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

c:\users\acer\desktop\desktop\desktop\27-10-2017\letter note sheet 2020 (26-03-2)\letter 05-12-2020.docx1129

प्राचार्य
विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा
महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर
------00---------

क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 06/6/2022

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषयः– **छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।**

संदर्भः– आपका प्रस्ताव कमांक 2917/760/761/आउशि/सम./2022 दिनांक 31.05.2022

-----00-------

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(ए.आर. खान)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17–95/2017/38–2 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,रायपुर।
2. निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

3. गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

प्राचार्य
विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा
महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए

सत्र 2022–23

हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्दांत

प्राचार्य
विप्र कला वाणिज्य एवं शारिरिक शिक्षा
महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण–छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :–

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :–

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु, जहॉ अनुसूचित जनजातियों के साथ–साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत् स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

अनुभाग अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

प्राचार्य
विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा
महाविद्यालय, जी.ई. रोड रायपुर (छ.ग.)